>

Title: Need to call back the Army Officers from Border Road Engineering Service Organisation and enact GREF Act.

कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद (मुज़फ़्फ़रपुर): अध्यक्ष महोदया, सन् 1960 में जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स की स्थापना सीमा सड़क विकास बोर्ड के अंतर्गत, जो भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन है, हुई, जिसे कालांतर में सीमा सड़क संगठन के असंवैधानिक नाम से प्रचलित किया गया है। शुरू में इस विभाग में सेना से लोन पर अधिकारी आए थे, जिन्हें बाद में वापिस सेना में जाना था। लेकिन आज तक सेना के अधिकारी सीमा सड़क विकास बोर्ड पर कब्जा किए हुए हैं। आज 50 वर्षों के बाद भी इसका कोई एक्ट नहीं बना है। छठे वेतन आयोग की सिफारिश पर सरकार ने ग्रेफ एक्ट बनाने का सुझाव मान लिया, परन्तु वह अभी तक नहीं बना है, क्योंकि सेना के अधिकारी जान-बूझकर ग्रेफ एक्ट बनाना नहीं चाहते।

खुदा न करे कभी विदेशी आक्रमण हुआ और सेना के उन अधिकारियों को मोर्चे पर जाना पड़ा, जो अभी केंचुआ मारकर सीमा सड़क संगठन के उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, तो वे बन्दूक का ट्रिगर दबाना भी भूल चुके होंगे। सेना से अधिकारी बिना सरकार के कैबिनेट सचिव की स्वीकृति के लाये जा रहे हैं। सरकार की कैबिनेट कमेटी (सुरक्षा) ने 11 सितम्बर, 2006 को विभाग का विस्तार स्वीकृत किया था, जो तीन साल बाद 2009 तक पूरा हो जाना चाहिए था, परन्तु आज भी उपर के पद खाली हैं।

बोर्डर रोड इंजीनियरिंग सेवा एक संगठित ग्रुप 'क' सेवा है जिसमें बाहरी अधिकारी उपर के पद पर नहीं आ सकते हैं। बीआरडीबी सचिव ने अपने पत्र 29 अक्टूबर, 1990 और 19 नवम्बर 1991 के द्वारा आर्मी अधिकारी कोर ऑफ इंजीनियर को उच्च पदों पर 50 प्रतिशत आरक्षण दिया है, जो कि संविधान के खिलाफ है और इससे एससी, एसटी, ओबीसी के रिजर्वेशन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।

अध्यक्ष महोदया, मैं रक्षा मंत्री, भूतल परिवहन मंत्री और केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि बोर्डर रोड इंजीनियरिंग सेवा संगठन से सेना के अधिकारियों को वापस सेना में भेजा जाये और ग्रेफ एक्ट शीघ्र बनाया जाये।

अध्यक्ष महोदया : श्री मंगनी लाल मंडल जी अपने आपको इस विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।